किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन ... बनती है। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षीगण को इस आशय अंतरिम की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा मरजीवी पटवार हल्का मरजीवी तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 440 की आराजी नम्बर 1587 रकबा 1.2300 हैक्टेयर स्थित भूमि की मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। रहन,बह,बक्षीक्ष व विक्रय नहीं करे ना किसी अन्य से करावे। विपक्षीगणों को हुक्म ईम्तनाई चन्दरोजा जारी हो जिसकी प्रति विपक्षी को जरिए रजिस्टर्ड डाक भेजी जावे। आगामी पेशी तक रजिस्टर्ड तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 03.06.2024 को पेश हो।

3/6/24 पत्रावली आज पेश हुइ। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। एस.डी.ओ.सा. दौरे /अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली हुक्म साविका दिनांक......6/6/24..........को पेश है

आज्ञा से

6/6/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर। एक प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 01 जाप्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारों के मध्य राजीनामा लोक अदालत की भावना से हो गया है, इसलिए प्रार्थी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर, इसी स्टेज पर विड्रो करवाना चाहता है। प्रार्थी का वाद विड्रो बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रार्थी का वाद इसी स्टेज पर विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा